दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 9 फरवरी, 2024
उदघोषित: 1 मार्च, 2024

<u>जमानत आ. 2396/2023</u>

सागर **..... आवेदक**

द्वारा: श्री यू.ए. खान, श्री तुषार उपाध्याय और श्री मनीष कुमार, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य **..... प्रत्यर्थी**

द्वारा: श्री अजय विक्रम सिंह, राज्य के लिए अति.लो.अभि. के साथ उप.नि. अब्दुल बरकत, अपराध शाखा/ए.एन.टी.एफ.

कोरम:
माननीय न्यायाधीश श्री सौरभ बनर्जी

<u>निर्णय</u>

1. आवेदक, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत वर्तमान आवेदन के माध्यम से, पुलिस स्टेशन अपराध शाखा, दिल्ली में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21/25 के तहत दर्ज प्राथमिकी सं.189/2022 दिनांक 30.08.2022 में नियमित जमानत चाहता है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, 30.08.2022 को निरीक्षक हरिवंश सिंह ने एक टीम को रा.रा.क्षे. दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी की जांच करने का निर्देश दिया। पोल स्टार पब्लिक स्कूल, मंगोलपुरी में तैनात सहा.उप.नि. रविंदर कुमार के नेतृत्व में छापेमारी करने वाले दल को हेरोइन वितरण में आवेदक सागर नामक एक मद्यतस्कर की भागीदारी के बारे में खुफिया जानकारी मिली, विशेष रूप से केशव अपार्टमेंट, रोहिणी, दिल्ली के गेट नं. 2 के पास एक नियोजित डिलीवरी के बारे में।

3. सहा.उप.नि. रविंदर ने यह जानकारी निरीक्षक को दी, जिन्होंने श्री अनिल शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त/एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद सहा.उप.नि. को विधि के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इस बीच, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के अनुपालन में, इसे सी.सी.टी.एन.एस. पर दर्ज किया गया। स्थिति की तात्कालिकता को महसूस करते हुए, निर्दिष्ट स्थान पर आवेदक की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक छापेमारी का आयोजन किया गया था।

4. दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, मुखबिर ने चेरी रंग की *स्कूटी* पर एक व्यक्ति की पहचान आवेदक के रूप में की, जिसके बाद, सहा.उप.नि. ने आवेदक से संपर्क किया और अपना और छापा मारने वाली टीम का परिचय दिया, साथ ही प्राप्त खुफिया जानकारी भी साझा की और उसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत अपने अधिकार के बारे में सूचित किया और उसे छापा मारने वाली

टीम और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर व्यक्तियों की तलाशी लेने की पेशकश की, जिससे आवेदक ने इनकार कर दिया।

5. आवेदक की तलाशी लेने पर, उसके नीचे पहने हुए कपड़े की दाहिनी जेब से एक काले रंग का पॉलिथीन बैग बरामद किया गया। जिसके अंदर, एक पारदर्शी पॉलीथीन बैग पाया गया जिसमें हल्के गुलाबी रंग का पाउडर था। फील्ड-टेस्टिंग किट में परीक्षण करने पर, यह पारदर्शी पॉलीथीन बैग सहित 300 ग्राम वजन की हेरोइन पाई गई। बरामद विनिषिद्ध पदार्थ को सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया गया, पैक किया गया, साक्ष्य के रूप में सील कर दिया गया और सहा.उप.नि. रविंदर कुमार द्वारा पार्सल ए के रूप में लेबल किया गया। हालांकि, आवेदक की *स्कूटी* की तलाशी में कोई विनिषिद्ध पदार्थ बरामद नहीं हुआ। इसके कारण वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई।

6. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों में से, विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है कि चूंकि पुलिस ने आवेदक को एक तुच्छ आपराधिक मामले में फंसाकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और उसका गिरफ्तारी के बाद निरंतर कारावास भारत के संविधान के भाग III में निहित उनके मूल अधिकार के अधिकार अधिकारातीत है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को दिल्ली के मंगोलपुरी से पकड़ा गया और उसे दिल्ली की स्वापक प्रकोष्ठ अपराध शाखा ले जाया गया, जहाँ उसे एक खाली कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा,

प्राथमिकी के विपरीत, क्योंकि मौके पर कोई व्यक्तिगत तलाशी या कार्यवाही नहीं की गई थी, यह एन.डी.पी.एस. अधिनियम के वैधानिक जनादेश का घोर उल्लंघन है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थियों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन पर प्रकाश डाला, इस तथ्य के आलोक में कि छापेमारी दल का गठन ए.एन.टी.एफ. में सहा.पु.आयु. श्री अनिल शर्मा के निर्देशों पर किया गया था, जो कार्यवाही की तिथि पर राजपत्रित अधिकारी नहीं थे और केवल एक निरीक्षक की क्षमता में सहा.पु.आयु. के कार्यात्मक पद पर थे। इसके बाद, उन्होंने पुलिस आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय के दिनांक 06.07.2022 के पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके तहत श्री अनिल शर्मा को केवल सहा.पु.आयु. का कार्यात्मक पद सौंपा गया था, और अभी तक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था। अपने तर्क को और मजबूत करने के लिए, उन्होंने पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र सं. 02/2023 दिनांक 10.01.2023 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि गैर-महत्वपूर्ण रैंक यानी कार्यात्मक, देखभाल, विशेष ग्रेड रैंक रखने वाले अधिकारी, विधि द्वारा विशेष रैंक के अधिकारियों को दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने, इसलिए, प्रस्तुत किया कि छापा और उससे वसूली विधि की दृष्टि से खराब है और विचारण की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने तब प्रस्तुत किया कि ***पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह*** और **गुरजंत सिंह उपनाम जनता बनाम पंजाब राज्य** में**,** उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, एन.डी.पी.एस. की धारा 42 का प्रावधान अधिनियम प्रकृति में अनिवार्य है और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन करते हुए आवेदक से वर्तमान की तरह कोई भी वसूली विधि की नजर में अमान्य है और इस प्रकार दूषित है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने तब प्रस्तुत किया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत आवेदक को दिया गया नोटिस प्रावधान के पीथ और पदार्थ के आधार पर है और बरामद किए गए विनिषिद्ध पदार्थ का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है क्योंकि यह विधि की नजर में दूषित है। इस संबंध में उन्होंने ***मोहम्मद जाबिर बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली)*** पर भरोसा रखा।

10. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी फील्ड ऑफिसर्स हैंडबुक को अधोयोजक करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बरामदगी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है क्योंकि छापे के समय कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था; और क्योंकि कोई बरामदगी कार्यवाही की व्यवस्था नहीं की गई थी; और यह भी कि इसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं थी। इसलिए, उनके अनुसार, छापेमारी और उसके बाद की बरामदगी, प्रथमदृष्टया झूठी, फर्जी है और आवेदक को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने के एकमात्र इरादे से रची गई है। इस संबंध में उन्होंने ***आरिफ खान उपनाम आगा खान बनाम उत्तराखंड राज्य*** और ***सुमित राय***

उपनाम सुबोध राय बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) और ***सिकोध महतो बनाम राज्य*** मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठों ने ***आरिफ खान*** (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय पर भरोसा किया है और उसे दोहराया है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने अंत में ***मनिंदर सिंह बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण*** और ***आरिफ खान*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया है कि हालांकि आवेदक के खिलाफ कई प्राथमिकियां हैं, मुख्य रूप से आबकारी अधिनियम के तहत, कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है और यह अपने आप में आवेदक को नियमित जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

12. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. ने अपराध की जघन्यता और दोषसिद्धि पर सजा की गंभीरता के आलोक में जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त से पूछताछ की गई और उप.नि. अरविंद द्वारा उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई, जिन्होंने 10,500/- रुपए और एक मोबाइल फोन पाया जिसमें मोबाइल नंबर +91-8826636454 का सिम कार्ड था, जिसे जब्त कर लिया गया और उनमें से प्रत्येक के लिए ज़ब्ती ज्ञापन तैयार किए गए। इसके बाद एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52क के अनुपालन में महानगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कार्यवाही की गई।

13. विद्वान अति.लो.अभि. ने आगे प्रस्तुत किया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 का पालन न करने के संदर्भ में अभियुक्त की प्राथमिक आपत्ति अपरिपक्व है क्योंकि इसे केवल विचारण के चरण में उठाया/पूछताछ की जा सकती है, नियमित जमानत के चरण में नहीं। इस संबंध में ***विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य, हरदीप सिंह बनाम राज्य*** और ***जौहरी बनाम राज्य***, पर भरोसा किया, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन विशुद्ध रूप से वैवेकिक प्रकृति का है और विचारण के चरण के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है।

14. ***जौहरी*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए, विद्वान अति.लो.अभि. ने यह भी प्रस्तुत किया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के वैधानिक परमादेश का अनुपालन विचारण का विषय है, और यह तथ्य कि आवेदक मौके पर पाया गया था और उससे 300 ग्राम हेरोइन की वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी की गई थी, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के निषेध के लिए पर्याप्त था जो नियमित जमानत देने पर प्रतिबंध लगाता है। इस संबंध में, उन्होंने ***हरदीप सिंह*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा किया।

15. अंत में, विद्वान अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का एक विचित्र इतिहास है क्योंकि उसके खिलाफ 26 और प्राथमिकियां दर्ज हैं।

16. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. को सुना है और अभिलेख पर स्थिति रिपोर्ट सहित दस्तावेजों का अध्ययन

किया है, साथ ही अधिवक्ता(गण) द्वारा दिए गए निर्णयों का भी अध्ययन किया है।

17. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा विपक्ष द्वारा उठाए गए तर्कों को देखते हुए, मुझे मुख्य रूप से इस बारे में निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, *पहला*, कि क्या सहा.पु.आयु. के पदाधिकारी रैंक वाले अधिकारी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या ऐसे भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए उसके अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत करने का अधिकार है, *दूसरा*, क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत आवेदक को दिया गया नोटिस वैधानिक आदेशों का अनुपालन है और *तीसरा*, क्या छापा मारने वाले दल ने उक्त विनिषिद्ध पदार्थ की वसूली करते समय एन.सी.बी. पुस्तिका के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

18. चूंकि, यह न्यायनिर्णयन के लिए कि क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत सहा.पु.आयु. के पदाधिकारी रैंक वाले अधिकारी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41 (2) के तहत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या ऐसे भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए उसके अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत करने का अधिकार है, एन.डी.पी.एस/ अधिनियम की धारा 41 (2) और धारा 42 दोनों के प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं: -

*"41. **वारंट और प्राधिकरण जारी करने की शक्ति।-***

*(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया या **केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग के राजपत्रित रैंक** का कोई भी अधिकारी। ... ... **अपने अधीनस्थ किन्तु चपरासी, सिपाही या सिपाही से उच्च रैंक के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा चाहे वह दिन में हो या रात में या स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके या भवन, वाहन या स्थान की तलाशी ले सके।"***

*"42. **वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति।-***

*(1) .....या राज्य सरकार के राजस्व, ड्रग्स नियंत्रण, आबकारी, पुलिस या किसी अन्य विभाग के **ऐसे किसी अधिकारी** (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से बेहतर रैंक का अधिकारी होने के नाते), जो **राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है,** यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप में लिया गया है कि कोई भी मादक पदार्थ, या साइकोट्रोपिक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य लेख जो इस तरह के अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या किसी भी दस्तावेज या अन्य लेख के कमीशन का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जो किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने का सबूत प्रस्तुत कर सकता है जो इस अधिनियम के अध्याय VA के तहत जब्ती या रोक या समपहरण के लिए उत्तरदायी है, रखा या छुपाया जाता है किसी भी इमारत, वाहन या संलग्न जगह में ... ..."*

(जोर दिया गया)

19. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि साधारण विधि के अनुसार, किसी अधिनियम की धारा में उपयोग किए गए/निहित शब्द/वाक्यांश/शब्द को सही अर्थ देने के लिए, इसकी शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए और इसे वैसे ही

पढ़ा जाना चाहिए जैसे वह है। उक्त सिद्धांत को लागू करने पर, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 में प्रयुक्त शब्द *"... ...राजपत्रित रैंक के अधिकारी... ..."* को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है, बल्कि यह स्पष्ट है कि विधायी आशय यह नहीं था कि ऐसा कोई अधिकारी, वास्तव में, एक अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, बल्कि ऐसे अधिकारी को कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित चैनल के माध्यम से उचित प्रतिनिधिमंडल पर केवल *"... ...राजपत्रित अधिकारी... ..."* का पद धारण करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि "... ...*राजपत्रित अधिकारी...* ..." शब्द, विरोधाभासी रूप से, विशेष रूप से एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 में उपयोग किया जाता है, न कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 में।

20. संक्षेप में, क्योंकि एक अधिकारी जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत *"... ...राजपत्रित रैंक का अधिकारी... ..."* है, वास्तव में, शाब्दिक अर्थों में *"... ...राजपत्रित अधिकारी... ..."* होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपरोक्त चर्चाओं और तर्कों को देखते हुए *"... ...राजपत्रित रैंक का अधिकारी... ..."* एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत *"... ...राजपत्रित अधिकारी... ..."* से अलग है, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत *"... ...राजपत्रित रैंक के अधिकारी... ..."* को उचित चैनल द्वारा से विधिवत प्रत्यायोजित होने के बाद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका नहीं जा सकता है।

21. अन्यथा धारण करने का मतलब निर्धारित विधि, यानी एन.डी.पी.एस. अधिनियम के विरुद्ध एक नया भेद पैदा करना होगा।

22. इस प्रकार, मैं आवेदक के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत ऐसे *"... ...राजपत्रित रैंक के अधिकारी... ..."* को *"... ...राजपत्रित अधिकारी... ..."* होना चाहिए। अन्यथा भी, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 व्यापक आयाम की परिकल्पना करती है और ऐसे *"... ...राजपत्रित रैंक के अधिकारी... ..."* को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करती है।

23. वर्तमान तथ्यात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, श्री अनिल शर्मा को दिनांक 06.07.2022 के आदेश के तहत सहा.पु.आयु. का कार्यात्मक रैंक सौंपा गया था, वह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के *तहत "... ...राजपत्रित रैंक का अधिकारी... ..."* थे और इस प्रकार उक्त श्री अनिल शर्मा को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 41(2) के संदर्भ में प्राधिकरण जारी करने का अधिकार प्राप्त था।

24. क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत आवेदक को दिया गया नोटिस वैधानिक जनादेश के अनुपालन में है और क्या छापा मारने वाले दल ने उक्त विनिषिद्ध पदार्थ की वसूली करते समय एन.सी.बी. पुस्तिका में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है, मेरी राय में ये दोनों न्यायनिर्णयन के विषय हैं जिन पर विचारण के बाद ही विचार-विमर्श किया जा सकता है,

खासकर तब जब अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का पर्याप्त मौका दिया गया है। मेरी राय में, इस स्तर पर आवेदक को नियमित जमानत देना पूर्व-परिपक्व होगा और इससे विचारण में बाधा आने या प्रभावित होने की संभावना है।

25. निश्चित रूप से, ऐसा करना आवेदक जैसे अभियुक्त को नियमित जमानत देने के विधि के बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ होगा, जैसा कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 23.11.2021 के जमानत आवेदन 3248/2021 शीर्षक ***नवीद उमर शेख बनाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो*** में पारित एक हालिया निर्णय द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: -

> *"11. ... इस संबंध में संपूर्ण प्रक्रियात्मक दोष का परीक्षण तब किया जाएगा जब इस मामले में साक्ष्य का नेतृत्व किया जाएगा और यह वह चरण नहीं है जहां नमूने लेने के तरीके के पक्ष या विपक्ष में कोई राय दी जा सकती है। बरामद की गई मात्रा एक वाणिज्यिक मात्रा है इसलिए धारा 37 का प्रतिबंध लागू होता है। इन परिस्थितियों में जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।"*

26. किसी भी स्थिति में, विनिषिद्ध पदार्थ की बरामद की गई मात्रा एक वाणिज्यिक मात्रा है, और इसलिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिबंध लागू होता है, जो मेरी राय में उपरोक्त परिस्थितियों में, एक बार फिर, वर्तमान आवेदन को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। मुझे ***नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम मोहित अग्रवाल*** में हाल ही में पारित निर्णय से समर्थ

समर्थन मिलता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"18. हमारी राय में अधिनियम की धारा 37 के तहत उपलब्ध जमानत के संकीर्ण मानदंड तत्काल मामले के तथ्यों में संतुष्ट नहीं हुए हैं। इस स्तर पर, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि प्रत्यर्थी ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराध के लिए दोषी नहीं है, जिसके लिए उसे जमानत दी गई है। उसकी अभिरक्षा की अवधि या यह तथ्य कि आरोप पत्र दायर किया गया है और विचारण शुरू हो गया है, अपने आप में ऐसे विचार नहीं हैं जिन्हें एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रत्यर्थी को राहत देने के लिए प्रेरक आधार के रूप में माना जा सकता है।"*

27. मुझे राज्य में हाल ही में ***पुलिस निरीक्षक बनाम बी रामू द्वारा*** पारित एक और निर्णय से भी पर्याप्त समर्थन मिला है,जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान को पढ़ने के बाद विशेष रूप से निम्नानुसार देखा है:-

> *"9. वैधानिक प्रावधान को पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यदि लोक अभियोजक नियमित या अग्रिम, जैसा भी मामला हो, जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करता है, तो न्यायालय को इस बात की संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि यह मानने के लिए आधार हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"*

28. महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि आवेदक की उपस्थिति या इस स्तर पर उसे सौंपी गई निश्चित भूमिका के बारे में कोई उचित कारण नहीं बनाया गया है/निकाला जा सकता है और साथ ही उससे वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित

वस्तुओं की बरामदगी से इनकार नहीं किया जा सकता है, उन तथ्यों के आलोक में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस की अनौचित्य और अस्पष्टता नगण्य है, खासकर, इस स्तर पर, जहां से मैं आवेदक को नियमित जमानत देने पर विचार कर रहा हूं।

29. यह उल्लेखनीय है कि जमानत देने, विशेष रूप से एन.डी.पी.एस. अधिनियम से संबंधित नियमित जमानत पर विचार करते समय, मुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि संसदीय बहसों के अनुसार एन.डी.पी.एस. अधिनियम मुख्य रूप से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए लागू किया गया था, जो मुख्य रूप से युवाओं सहित निर्दोष लोगों को लक्षित कर रहा था, जिसका न केवल वर्तमान पीढ़ियों पर, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही यह भी कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों में उल्लिखित विधायी आशय हैं -

".....स्वापक औषधियों और मनप्रभावी पदार्थों से संबंधित प्रचालनों के नियंत्रण और विनियमन के लिए कठोर उपबंध करना।"

30. अंत में, मुझे आवेदक के विचित्र इतिहास को भी ध्यान में रखना होगा, जो संबंधित जेल अधिकारियों से मांगी गई नामावली और एस.सी.आर.बी. की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 26 और प्राथमिकियां लंबित हैं। यह निश्चित रूप से एक प्रमुख भूमिका निभाता है क्योंकि मुझे बड़े पैमाने पर समाज के

अधिकारों और हितों के खिलाफ आवेदक के व्यक्तिगत अधिकारों और हितों को संतुलित करना है।

31. उपरोक्त चर्चा और उसके लिए तर्कों के मद्देनजर, इस न्यायालय के लिए इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए उपरोक्त सभी कारक स्वयं पर्याप्त हैं। इस प्रकार, मुझे लगता है कि आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार, वे शायद ही किसी प्रासंगिकता के हैं।

32. तदनुसार, ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक मैट्रिक्स और परिस्थितियों के साथ-साथ विधिक स्थिति पर विचार करते हुए, वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

33. कहने की आवश्यकता नहीं है कि मामले के गुण-दोष पर की गई कोई भी टिप्पणी विशुद्ध रूप से वर्तमान आवेदन पर न्यायनिर्णयन के उद्देश्यों के लिए है और इसे मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

न्या., सौरभ बनर्जी

मार्च 1, 2024/आरआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*